ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL**04292**
RNI REG. NO. UPBIL/**2014/66218** **PP. No.- 126-129**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- II, Issues-40, YEAR- April-June 2026

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

डॉ0 अमित कुमार रंजन

असिस्टेंट प्रोफेसर– समाजशास्त्र विभाग, सी0 एम0 बी0 कॉलेज, डेवढ़, घोघरडीहा– मधुबनी (बिहार) भारत

Received-04.04.2026, Revised-11.04.2026, Accepted-17.05.2026 E-mail:ramitsocio@gmail.com

सारांशः महिला सशक्तिकरण में पंचायत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामसभा से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। अब स्थिति यह है कि पंचायतों में भागीदारी होने के साथ ही उनकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। उनमें जागरूकता आई है और वे छोटे–छोटे स्वयंसहायता समूहों के जरिए स्वरोजगार अपना रही हैं और विकास में अपना सहयोग दे रही है। इस तरह कहना गलत नहीं होगा कि पंचायत से ही महिलाओं के राजनीतिक एवं सशक्तिकरण अभियान को गति मिली। आज देश में 2.5 लाख पंचायतों में लगभग 32 लाख प्रतिनिधि चुनकर आ रहे हैं। इनमें से 14लाख (45.15 प्रतिशत) से भी अधिक महिलाएं चुन कर आई है। यह आकड़ा यह बताने के लिए पर्याप्त है कि किस तरह से महिलाएं राजनीतिक कार्यो में सहभागिता कर रही हैं। महिलाओं की बढती भागीदारी न केवल महिलाओं के खुद के स्वाभिमान के लिए सकारात्मक संकेत है, बल्कि इससे हिन्दुस्तान के गांवों में फैली सामाजिक असमानता भी दूर होगी।

कुंजीभूत शब्द– पंचायतीराज, महिला सशक्तिकरण, महिला प्रतिनिधि, महिला आरक्षण, स्वयंसहायता समूह, स्वरोजगार, स्वाभिमान,संसद।

किसी भी राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब वहां की महिलाएं विकसित हों। महात्मा गांधी ने कहा था कि ''अगर घर के किसी कोने में गडा खजाना अचानक मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। महिला शक्ति सुस्त पडी है, अगर भारत की महिलाएं जाग जाएं तो वे इसी प्रकार विश्व को चकाचौंध कर देगी।'' इस क्रम में डॉ भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि ''समाज में स्त्री का बडा महत्व है, जिस घर–परिवार में स्त्री शिक्षित–प्रशिक्षित हो,उनके बच्चे सदा ही उन्नति के पथ पर अग्रसर रहते हैं। वह सुन्दर परिवार की निर्मात्री है, जब तक हमारे आंदोलनों में महिलाएं भी भरपूर हिस्सा नही लेंगी, तब तक हमारा आंदोलन कभी सफल नहीं हो सकता।''

ग्राम विकास में महिला नेतृत्व एवं सशक्तिकरण का अभिप्राय महिलाओं को पुरूषों के बराबर वैधानिक, राजनैतिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वतंत्रता से है। महिलाओं में इस प्रकार की क्षमता का विकास जिसमें वे अपने जीवन का निर्वाह इच्छानुसार कर सकने में सक्षम हो एवं उनके अंदर आत्मविश्वास और स्वाभिमान को जागृत करना है।

सशक्त पंचायत सशक्त राष्ट्र– पंचायती राज के माध्यम से लाखों स्त्रियों का जो लोकतांत्रिक प्रशिक्षण हो रहा है वह अन्ततः हमारी समग्र राजनीति के चरित्र को प्रभावित कर रहा है। पंचायती राज में महिलाओं का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। आज देश में 2.5 लाख महिलाएं पंचायतों में लगभग 32लाख प्रतिनिधि चुन कर आ रहे है। इनमें से 14 लाख (45.15 प्रतिशत) से भी अधिक महिलाएं चुन कर आई है। यह आकडा यह बताने के लिए प्रर्याप्त है कि किस तरह से महिलाएं राजनीतिक कार्यों में सहभागिता कर रही है। महिलाओं की गांव के कामों में बढती भागीदारी न केवल महिलाओं के खुद के स्वाभिमान के सकारात्मक संकेत है, बल्कि इससे हिन्दुस्तान के गावों में फैली सामातिक असमानता भी दूर होगी। खासतौर से लिंग के आधार पर किए जाने वाली गैर बराबरी अब संभव नही रह गई है। महिलाओं का बढता कद उन्हें घर और बाहर की दुनिया में स्वतंत्र होकर जीने में सहयोग प्रदान कर रहा है। दहेज के नाम पर महिलाओं का हो रहा उत्पीडन हो अथवा घरेलू हिंसा–इन तमाम सामाजिक कुरीतियों से आज की महिला लडने में सशक्त हो चूकी है।

भारतीय संविधान में प्रदत्त राजनीतिक अधिकार– प्रत्येक महिला एवं व्यस्क लडकी को चुनाव की प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भागीदारी करने और स्वविवेक के आधार पर वोट देने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी संविधान–सम्मत योग्यता रखने पर किसी भी तरह के चुनाव में उम्मीदवारी कर सकती है।

सशक्त पंचायत की ओर– पंचायती राज में 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था से महिलाएं राजनैतिक रूप से सशक्त हुई हैं और उनकी निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास हुआ है। पंचायती राज संस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है,जो कि अब 42 प्रतिशत से अधिक हो गई है। महिलाओं को पंचायत में 50 प्रतिशत आरक्षण देने वाला अग्रणी(सर्व प्रथम) राज्य बिहार है, आज की स्थिति में 15 प्रमुख और बडे राज्यों में यह विधेयक पास किए गए है। महिला साक्षरता 65 प्रतिशत हो गई है और उनमें जागरूकता भी बढ़ी है। अब कैबिनेट ने 110वें संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्था में आरक्षण 50 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इस संवैधानिक संशोधन के साथ ही निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या में और अधिक वृद्धि होगी।

संविधान संशोधन का मसौदा पंचायतों को नौवीं अनुसूचि में रखने के लिए तैयार किया गया। निष्कर्ष के रूप में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा सदस्यों और अध्यक्षों के एक–तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित करके उनको स्थानीय शासन में सक्रिय भागीदारी प्राप्त हुई है। इस प्रावधान के कारण महिलाओं की क्षमता उजागर हुई है, जो भविष्य में भारत की राजनीति को एक नया मोड दे सकती है।

महिलाओं का सशक्तिकरण– पंचायती राज में महिला सहभागिता का क्षेत्रीय नेतृत्व उस क्षेत्र में स्त्रियों की दशा का दर्पण है। उस क्षेत्र का सामाजिक–पारिवारिक परिवेश तथा परिस्थितियों से महिला नेतृत्व की स्थिति स्पष्ट होती है। महिलाओं में साक्षरता दर बढ़ रही है। गांवों में भी बालिका शिक्षा का चलन हो रहा है। महिलाएं अब अल्प एवं छोटे परिवार की आदी हो रही है। घूंघट उनकी परम्परा है, पर अब इससे भी महिलाएं उबर रही हैं। अब महिलाएं भ्रूण हत्या को रोकने में सजग हैं। बाल मृत्यु दर भी कम हो रहा है। ग्रामीण नेतृत्व की श्रेणी में 30–35 वर्ष की महिलाएं ज्यादातर निर्वाचित होकर काम कर रही हैं। अब वें अपनी शैक्षणिक स्थिति को बढ़ाने की दिशा में सोच रही है। महिलाओं में राजनीतिक जागृति और प्रशासनिक क्षमताओं का विकास होने लगा है। पंचायती राज के माध्यम से महिलाओं की नेतृत्व की क्षमताएं सामने आई है। विभिन्न सामाजिक योजनाओं की प्रगति से गांवों के आर्थिक–सामाजिक जीवन में काफी बदलाव हुआ है। गांव, नए भारत के नए बाजार के रूप में उभर रहे है। पंचायतों के जरिए विभिन्न सामाजिक योजनाएं सीधे–सीधे गांव और ग्रामीणों तक जुड पा रही है। अब सरकार की कोशिश है कि इन संस्थाओं को और

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- II, Issues-40, YEAR- April-June 2026

अधिकार दिए जाएं ताकि यह न केवल वित्तीय रूप से मजबूत हो बल्कि बेहतर कामकाज के लिए प्रोत्साहित भी हो, ताकि देश के आर्थिक विकास में गांव ज्यादा योगदान कर सकें।

वर्तमान पंचायती राज प्रणाली की कुछ कमियां भी हैं जिन्हें दूर करना बेहद जरूरी है। इन संस्थाओं की सफलता पंचायत प्रतिनिधि एवं विकास अधिकारियों की जागृति, ईमानदारी, कुशलता, विवेक, मंशा और सरकारी अनुदान पर निर्भर है, जबकि प्रणाली वह अच्छी मानी जाती है, जिसमें व्यक्ति कैसा भी हो, प्रणाली उसे ईमानदारी, कुशलता, अच्छी मंशा, सद्विवेक, सक्षमता व स्वावलंबन के साथ कार्य करने को बाध्य करती है। वर्तमान में पंचायती राज गांवों को प्रशासनिक एवं क्रियान्वयन इकाई बनाने पर जोर दे रहा है,जबकि गांव मूल रूप से एक सांस्कृतिक इकाई हैं। ऐसे में गांवों ने शहरों की बुराईयां तो अपना ली हैं, लेकिन अपनी अच्छाइयों की रक्षा करने में अब वह असमर्थ सिद्ध हो रहे हैं। विकास की दौड में हमें अपने मूल्यों को नहीं छोडना चाहिए और न ही अपनी सांस्कृतिक विरासत को। पंचायतों के माध्यम से इस कार्य को अंजाम देने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। भारत सरकार की आदर्श

राज्यवार पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण का विवरण

क्र0सं0	राज्य	पंचायतों की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	22945
2	टसम	2431
3	बिहार	9040
4	छत्तीसगढ़	9982
5	हिमाचल प्रदेश	3330
6	झारखण्ड	3979
7	कर्नाटक	5833
8	केरल	1165
9	मध्य प्रदेश	23412
10	महाराष्ट्र	28277
11	ओडिसा	6578
12	राजस्थान	9457
13	त्रिपुरा	540
14	उत्तराखण्ड	7335
15	पश्चिम बंगाल	3713

स्त्रोतः लोकसभा में प्रश्न सं0 379(22.5.2013) के सन्दर्भ में दिया गया उत्तर

ग्राम योजना इसको बेहतरीन अंजाम देने में सक्षम हो सकती है। अपितु ग्रामीण विकेन्द्रीकरण और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा भारतीय ग्रामीण संस्थागत परिदृश्य में एक बडा परिवर्तन आ रहा है।

सामने आई महिलाओं की नेतृत्व क्षमता– विश्व के अनेक देशों का अनुभव रहा है कि ग्रामीण एवं राष्ट्रीय–स्तर पर महिलाओं को चुनावों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। इस प्रतिनिधित्व को बढाने के बेहतर अवसर स्थानीय स्वशासन में या विकेंद्रीकरण के संस्थानों में मिल सकते हैं। इस दृष्टि से भारत का उदाहरण महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि यहां के पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण के कारण विश्व स्थानीय स्वशासन के स्तर पर सबसे अधिक महिलाएं भारत में निर्वाचित होती है। विभिन्न सफल महिला नेतृत्व की पंचायतों के अध्ययन से यह सामने आया है कि महिलाओं के नेतृत्व में आगे आने से विकास कार्यो को अधिक निष्ठा एवं ईमानदारी से आगे ले जाने, आपसी मेलजोल से कार्य करने, हरियाली बढ़ाने एवं जल संरक्षण को बढ़ावा देने तथा नशा कम करने जैसे सामाजिक सुधारों को प्राथमिकता देने में सफलता मिलती है। साधारण ग्रामीण महिलाओं का पंचायत से जुडाव बढ़ता हैं इस तरह पंचायतों में महिला नेतृत्व की बढ़ती सफलता महिलाओं के सशक्तिकरण की दृष्टि से ही नहीं अपितु विकास कार्यो एवं समाज सुधार में प्रगति की दुष्टि से भी एक सराहनीय उपलब्धि है।

शिक्षा को नए आयाम देती महिला प्रतिनिधि– पुरूषवादी मानसिकता के शिकार लोग अक्सर यह तर्क देते रहे है कि निरक्षर महिलाएं पंचायतों का कामकाज ठीक नही कर सकती हैं लेकिन सर्वेक्षणों के निष्कर्ष इसके उलटे है। महिला जनप्रतिनिधि शिक्षा के विस्तार के साथ ही ग्रामीण विकास को अभूतपूर्व गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। ये महिला जनप्रतिनिधि अधिकांशतः स्वयं निरक्षर हैं। अतः ये नहीं चाहती कि इनके गांव में कोई भी व्यक्ति विशेषकर महिलाएं एवं बालिकाएं अशिक्षित रहे। फलस्वरूप न केवल महिलाएं शिक्षा से जुड रही है,गांवों के स्कूल में भी विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ा है। सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि ग्रामीण महिलाएं अपनी बच्चियों को स्कूल भेज रही हैं। इन क्षेत्रों की महिलाओं के समान अन्य पंचायतों के जनपगतिनिधि भी ऐसे ही प्रयास करें तो शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण और गांवों का विकास सुनिश्चित है।

समाज में महिला प्रधान की बदलती तस्वीर– पंचायतों में महिला आरक्षण के लागू होते ही, महिलाएं पंचायतों में चुनकर आई थी,लेकिन पंचायत के काम उनके रिश्तेदार संभालते थे। महिला आरक्षण और महिला सशक्तिकरण के सारे सपने ध्वस्त से होते प्रतीत हुए थे,लेकिन धीरे–धीरे स्थिति बदली और अब पंचायतों के लिए चुनी जाने वाली महिलाएं,अपने पुरूष रिश्तेदारों के साथ ही कठपुतलियां मात्र नही रह गई हैं,अब वे आगे बढ़कर फैसले ले रही है और महिला सशक्तिकरण के स्वप्न को साकार कर रही हैं। आज राजनैतिक रूप से जागरूक महिलाएं पंचायतों के चुनाव लड रही हैं और चुनाव जीतकर स्वतंत्र रूप से फैसले ले रही हैं। पंचायतों अब जो महिलाएं चुनकर आ रही हैं, उनमें से ज्यादातर युवा एवं पढ़ी–लिखी हैं। वे यह भ्रम तोड रही हैं कि पुरूषों के मुकाबले महिलाओं की राजनैतिक कार्यक्षमता कम होती है। राजनीतिक चुनौतियों का यह विश्लेषण बताता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की वांछित भागीदारी नहीं है। विधायिका के अलावा न्यायपालिकाओं में उनकी संख्या नगण्य है। राज्य पंचायती राज अधिनियमों में अनेक कमियां हैं, जो पंचायतों चुनाव में चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान एवं बाद में हिंसा, जात–पात, गुटबाजी का वातावरण महिलाओं को निरूत्साहित करता है। इसका मुख्य कारण राजनैतिक है। पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत महिला

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- II, Issues-40, YEAR- April-June 2026

आरक्षण की व्यवस्था से महिलाओं में अधिक आत्मविश्वास जागा है और इससे समाज में क्रान्तिकारी बदलाव और सुधार आ रहा है। केन्द्र व राज्य–स्तर पर अनेक प्रयास पंचायतों को सशक्त करने के लिए किए गए हैं। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण मनरेगा, क्योंकि इस अधिनियम को लागू करने के लिए पंचायतें मुख्य संस्थाएं हैं। यही नहीं, 50अरब की लागत के प्रोजेक्ट ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किए जाएंगे। अभी हाल में केन्द्र सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की पहल महिलाओं के सशक्त करने की प्रक्रिया और मजबूत करेगी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरूआत बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट से हुई थी। अगर महिलाएं स्वयं चुनकर नहीं आती हैं, तो दों महिलाओं को पंचायतों का सदस्य बना दिया जाए, इसका अर्थ यह हुआ, कि महिलाओं को इस योग्य नहीं समझा गया कि वे पंचायत के कार्यो को कर सकेंगी। यह वास्तव में पुरूषवादी सोच का ही परिणाम है कि महिलाओं को लालन–पालन के अलावा और किसी योग्य नहीं समझा जाता। अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट ने भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किए। इस समिति ने संविधान में संशोधन के लिए विधेयक का मसौदा तैयार तो किया था, लेकिन उसमें महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान नहीं किया। बाद में कुछ राज्य, जैसे–कर्नाटक,केरल एवं पश्चिम बंगाल ने राज्य स्तर पर राजनीतिक इच्छा दिखाकर पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की,जिसके ग्रामीण विकास व महिलाओं की मुखरता पर अच्छे प्रभाव पड़े। अस्सी के दशक में यह बात साफतौर पर सामने आई की बिना महिलाओं की भागीदारी के संपूर्ण ग्रामीण विकास संभव नहीं है। महिला परिप्रेक्ष्य योजना (1988–2000) में सिफारिश की गइ की महिलाओं के लिए पंचायतें में 30 प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए। इस योजना की सिफारिशों व विभिन्न महिला मंचों,संस्थाओं और इस क्षेत्र में कार्यरत बुद्धिजीवियों के प्रयासों से महिलाओं को सदस्य व अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्राप्त हुआ। इस प्रावधान ने महिलाओं के दमित ऊर्जा को उजागर किया है जो निकट भविष्य में भारतीय राजनीति को नया मोड़ दे सकेगी। पंचायत चुनाव से पहले भ्रांतिया पैदा की जा रही थी चुनाव लड़ने के लिए कहां से आयेगी महिलाएं। जब चुनाव सम्पन्न हुए तो पाया कि कुछ राज्यों, जैसे– कर्नाटक, पश्चिम बंगाल व केरल में महिलाओं की संख्या अधिकतम सीमा को भी पार कर गई है। वैसे पंचायतों में महिलाएं अपनी भूमिका निभा रही हैं, लेकिन प्रभावी भूमिका निभाने के लिए उनके सामने अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक सीमाएं रोड़ा अटका रही है। सामाजिक सीमाओं ने उन्हें कमजोर व असहाय बना दिया है। घर व समाज का परिवेश उन्हें अनुमति नहीं देता कि वे खुलकर पंचायतों में हिस्सा ले सकें। उनकी अशिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ने और मुश्किल खड़ी की हैं। गरीबी भी महिलाओं के लिए कम महत्वपूर्ण समस्या नहीं है। परिवार यदि गरीब है, तो सबसे ज्यादा बोझ महिलाएं ही उठाती हैं। महिला पंचायत प्रतिनिधियों के विभिन्न अध्ययन बताते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधियों का एक बड़ा हिस्सा गरीबी–रेखा से नीचे रह रहा है। महिलाओं की आर्थिक रूप से बिगड़ती स्थिति पर एक प्रकार नई आर्थिक नीति ने किया। राजनीतिक सीमाओं के अन्तर्गत निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की वांछित भागीदारी नहीं है। विधायिका के अलावा न्यायपालिका में भी इनकी संख्या नगण्य है। महिलाओं की नौकरशाही में भागीदारी भी नहीं के बराबर है। महिला पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत व गैर–पंचायत कार्यालयों में पुरूष ही नजर आते हैं, जिसके कारण वे अपनी बातें उनसे खुलकर नहीं कह पाती। इसका प्रभाव उनके कार्य–संपादन पर पड़ता है। माना कि महिलाओं के सामने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक सीमाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको दूर नहीं किया जा सकता या उनका समाधान संभव नहीं है। महिलाओं की गरीबी दूर करने के लिए विभिन्न ग्रामीण विकास व उन्मूलन कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम व अन्य जीवन गुणवत्ता कार्यक्रम चलाए जा रहे है, जिनमें महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान हैं। इनके द्वारा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। चूंकि ये कार्यक्रम पंचायतों द्वारा ही लागू किए जाएंगे, जिनमें महिलाएं स्वयं भागीदार हैं, इसलिए आशा की जाति है कि इनके कार्यान्वयन में सुधार आएगा, जिसका सकारात्मक प्रभाव महिलाओं पर पड़ेगा। पंचायतों में महिलाओं के अधिकारों,शक्तियों व उत्तरादायित्वों के बारे में, पंचायत की कार्यवाही करने के लिए विभिन्न नियमों एवं कानूनों के बारें में,वित्तीय व गैर–वित्तीय संसाधन इकट्ठा करने के बारे में तथा विकेंद्रीकरण योजना तैयार करने के बारे में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं विभिन्न स्वैछिक संस्थाएं महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं की सोच व समझ का विस्तार हुआ है और वे पंचायतों में अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभा रही हैं, जो यह ढांढस बंधाते हैं कि महिलाएं भले ही अशिक्षित है और अनेक समस्याओं से ग्रस्त हैं, फिर भी उन्होंने ग्रामीण समाज में नए उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। भविष्य में जैसे–जैसे महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त करने से और पंचायतों की बैठकों में भाग लेने के माध्यम से इकट्ठा होंगी, कम मुखर महिला प्रतिनिधियों पर मुखर महिलाओं का प्रदर्शनकारी प्रभाव पड़ेगा, जो उनकी पंचायतों की भूमिका को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। 81वां संविधान संशोधन,जो संसद व विधान सभाओं में महिला आरक्षण के बारे में हैं,वह महिला पंचायत प्रतिनिधियों,महिला विधायकों व महिला सांसदों के बीच तारतम्य बढ़ाएगा। इससे ग्रामसभा से लेकर लोकसभा की ओर महिलाओं का एक ताना–बाना तैयार होगा,जो महिला पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी प्रभावी भूमिका निभाने में मददगार होगा। महिलाओं की शक्ति संपन्नता की राष्ट्रीय नीति, जो 1996 में बनाई गई थी,महिलाओं की विभिन्न समस्याओं के निवारण का इलाज है। आने वाले समय में महिलाओं के स्वयं के प्रभाव से और महिलाओं के विकास में कार्यरत विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों व बुद्धिजीवियों के सहयोग से उनके उदेश्य कार्यात्मक रूप ले पाएंगे।

महिला सहभागिता का प्रभाव– महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्रान्तिकारी बदलाव 1992 के बाद देखने को मिला,जब 72वें और 73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित कर दी गई। इस कानून से ग्रामीण महिलाओं को पहली बार महसूस हुआ कि सत्ता में वे भी भागीदार हो सकती हैं। बिहार भारत का ही नहीं,बल्कि विश्व का एक ऐसा प्रांत (राज्य) बन गया है, जहां पंचायती राज तथा शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2006 में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसके साथ ही निरक्षरता दर सबसे अधिक, सधन घनी आबादी और कुल प्रजनन दर अधिकतम वाले गंभीर समस्याग्रस्त बिहार जैसे राज्य 8500 पंचायतों में 4500 से भी अधिक महिलाएं चुनाव जीति हैं, जोकि एक अनुपम उदाहरण है। इनमें से ज्यादातर महिलाओं ने पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र में कदम रखा था। चूल्हे–चौके तक ही सीमित दुनिया में रहने वाली इन महिलाओं के लिए नई भूमिका में खुद को साबित करना आसान नहीं था। फिर साक्षर न होने का अभिशाप, लेकिन जब अधिकार मिले और सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ा, तो उनको धीरे–धीरे काम करने का ढंग भी आ गया। विधानसभाओं एवं लोकसभा के लिए भी जो लोग जीते हैं, सारे स्नातकोत्तर (एम.ए.), विद्यानिधि (एम.फिल), विद्यावारिधि (पी.एच.डी.) तो नहीं होते पर मंत्री बनने के बाद काम चला ही लेते है। कानून बनने के बाद, नागरिक सामाजिक संगठनों की भूमिका सराहनीय रही, उन्होंने सदियों से दबे–कुचले समाज की महिलाओं की खासकर पर मदद की। चुनाव लड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार करने

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- II, Issues-40, YEAR- April-June 2026

और चुनाव जीतने के लिए जागरूकता अभियान चलाने से लेकर चुनाव जीतने के बाद पंचायतों का काम करने का उन्होंने प्रशिक्षण दिया। पंचायतों में महिला आरक्षण ने जहां एक ओर महिलाओं की तकदीर बदलने का काम किया है, तो वहीं दूसरी ओर इसने पंचायतों की तस्वीर भी पूरी तरह से बदल कर रख दी है और राजनैतिक रूप से हाशियों पर पडी महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में लाने का काम किया है।

शिक्षा से आया सामाजिक बदलाव– शिक्षित मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव ज्यादा विवेकपूर्ण ढंग से कर सकने में सक्षम होते है। इस लिहाज से शिक्षा के प्रसार से देश में लोकतंत्र को मजबूति मिली है। पंचायती राज कानून ने ग्रामीणों को अपने फैसले खुद करने का अवसर मुहैया कराया है। ग्रामीणों और खासतौर से ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा के विकास से पंचायतीराज संस्था को बल मिला है। इससे ग्राम पंचायतें अपने आर्थिक और अन्य सामुदायिक फैसले ज्यादा विवेकपूर्ण ढंग से करने में सक्षम बनी है। डॉ अम्बेडकर ने भी कहा था, ''शिक्षा सबकी पहुंच के अंदर होनी चाहिए। इसे हर मुमकीन तरीके से और यथासम्भव रास्ता बनाया जाना चाहिए।'' बाबा साहब का अटूट विश्वास था कि शिक्षा ही मनुष्य और समाज के जीवन में बदलाव ला सकती है। अतः भारतवर्ष में पंचायती राज व्यवस्था के व्यावहारिक स्वरू ने एक लंबा समय तय किया है। प्राचीन इतिहास के अवलोकन से पता चलता है कि वैदिककाल में भी पंचायतों का अस्तित्व देखने को मिलता था। बौद्धकाल में ग्राम परिषदें थी। इन परिषदों का कार्य ग्राम भूमि कर ,लगान की व्यवस्था,शान्ति एवं सुरक्षा स्थापित करना था तथा चन्द्रगुप्त मौर्य के काल में ग्रामीण लोग पंचायतों में रूचि लिया करते थे। चाणक्य,ग्राम को प्रथम राजनीतिक इकाई के रूप में स्वीकार करते थे। सन् 1947 में भारत के आजाद होने के बाद पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास की दिशा में उल्लेखनीय कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए। स्वतंत्र भारत के संविधान मेंराज्य के नीति–निर्देशक तत्वों से संबंधित अध्याय के अनुच्छेद 40 में उल्लेख है कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्ति व अधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। व्यावहारिक रूप में 'पंचायती' शब्द का अस्तित्व आजाद भारत में श्री बलवंत राय मेंहता के ''लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण'' के प्रतिवेदन से उदय हुआ और जो अनवरत अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था का सकारात्मक परिणाम ग्रामीण भारत में धीरे–धीरे देखने को मिल रहा है।

पारिवारिक सामंजस्य की आवश्यकता– महिलाओं की राजनैतिक क्रियाशीलता हेतु पारिवारिक सदस्यों का सामंजस्य भी अति आवश्यक है। पति–पत्नि ही नहीं अपितु परिवार के अन्य सभी सदस्यों को एक–दूसरे की प्रतिभा, योग्यता, दक्षता और कौशल को पहचानते हुए, आपसी सौहार्द्र की भावना से उनकी निहित शक्तियों के प्रकटीकरण एवं उपयोग के अवसर प्रदान करते हुए प्रत्येक स्तर पर उदार,प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाकर यथासम्भव उन्नति के पथ पर अग्रसर कराने का प्रयास करना चाहिए। अधिकारों के साथ–साथ उत्तरदायित्वों को भी वहन करना होगा। किसी होड, प्रतिद्वंदिता या नारेबाजी से नहीं, वैचारिक शक्ति का संबल लेकर सुनियोजित ढंग से सामाजिक परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना होगा। फलतः महिला सशक्तिकरण के बहुआयाम महिलाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व व सर्वागीण विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा,ऐसी अपेक्षाएं है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. देसाई, नीरा; ''वीमेन एण्ड सोसाइटी'',एस. एन. डी. टी.,वामेन्स यूनिवर्सिटी, बम्बई।
2. देसाई, नीरा (1987),''सोशल चेंज इन गुजरात'', वोरा एण्ड कम्पनी,पब्लिशर्स प्रा0 लि0 मुम्बई।
3. पाण्डेय, प्रेम नारायण; (2000): ''ग्रामीण विकास एवं संरचनात्मक परिवर्तन'', रावत पबलिकेशन, जयपुर एवं नई दिल्ली।
4. पाडिया, चन्द्रकला (2005); ''धर्मशास्त्र और स्त्री विमर्श'' महिला अध्ययन एवं विकास केन्द्र,काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
5. सिहं, अनिल; ''भारत में महिलाओं की स्थितिः कल और आज'', अंकः 08,मार्च 2016, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।
6. महीपाल (2017), ''पंचायत में महिलाएं'' राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली।
7. मंजुलता (2012): ''भारतीय सामाजिक समस्याएं'' अर्जुन पब्लिशिंग हाउस।
8. महीजन एस. (2009); ''सामाजिक बदलाव के लिए शिक्षा'', राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली।
9. आलोक, चेतयानन्द; ''महिला सशक्तिकरण हमारे समाज का सहज स्वरूप'', अंक 08, मार्च 2016, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।
10. देसाई, नीरा व ठॉर, उषा (2009); ''भारतीय समाज में महिलाएं'', राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली।
11. वर्मा, सरोज कुमार; ''सशक्तिकरण के भारतीय संदर्भ'', योजना, अक्टूबर 2008, पृ0 24.
12. आनंद, निमल कुमार; ''पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं'' कुरूक्षेत्र, मई 2007, पृ0 44.
13. राजकुमार (2005); ''नारी के बदलते आयाम'', अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, अन्सारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली।
14. सिहं, अजय कुमार; ''सुशासन,पंचायतीराज और महिलाएं'' योजना, जनवरी 2013 पृ0 63.

*****